वनमण्डलाधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन

---000---

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वय ईकाई, 66–67 सिद्धि विनायक कालोनी, दादाजी कालेज के पास इन्दौर रोड़, खण्डवा, द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/152561/2022 में खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल अन्तर्गत परिक्षेत्र सनावद में इन्दौर एदलाबाद राजमार्ग फोरलेन निर्माण लम्बाई 945.00 मीटर एवं चौडाई 33.86 मीटर मार्ग निर्माण हेतु 03.20 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग के प्रस्ताव का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 15-03-2022 को किया गया है।

इन्दौर एदलाबाद फोरलेन मार्ग निर्माण कक्ष क्रमांक 291 में भारत सरकार की अनुमति के बिना कार्य कराया जा रहा था। संज्ञान में आते ही कार्य को तत्काल ही बंद कराया गया है तथा निर्माण कार्य कराने वाले के.सी.सी. बिल्डकोन प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के सीनियर मैनेजर श्री राकेश यादव जिनके द्वारा कार्य कराया जा रहा था उनके विरूद्ध बिना अनुमति के कार्य कराने के संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 दर्ज किया जाकर प्रकरण की जांच कार्यवाही प्रचलित है।

परिक्षेत्र सनावद के कक्ष क्रमांक 291 में कुल रकबा 03.20 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग की जाना प्रस्तावित है। अन्य कोई विकल्प नही है। प्रस्तावित कार्यो में सागौन प्रजाति का कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है एवं अन्य प्रजाति के 64 वृक्ष कुल 64 वृक्ष काटे जाना प्रस्तावित है।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन यूनिट 66–67 सिद्धि विनायक कालोनी, दादाजी कालेज के पास इन्दौर रोड़, खण्डवा, को परिक्षेत्र सनावद की 03.20 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि इन्दौर एदलाबाद फोरलेन निर्माण हेतु उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

(एम.बी.सिरसैया)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह